



कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।
(अनाधिकृत निर्माण/कार्य ध्वस्त करने हेतु नोटिस)

(17)

पत्रांक : 248 / वाद संख्या सी-1197 / एस-डाकपत्थर / 2023

दिनांक: 05/04/2025

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून ।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि विपक्षी श्री संदीप जैन व श्री तोमर आदि/हितबद्ध व्यक्ति, ग्राम बाडवाला, मुख्य चकराता रोड, निकट चौक देहरादून द्वारा प्राधिकरण से बिना अनुमति प्राप्त किये उपरोक्त वर्णित स्थल पर लगभग 20 बीघा भूमि पर अवैध प्लाटिंग हेतु प्लाटों का चिन्हिकरण किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009, की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कारण बताओ एवं स्थल पर अवैध निर्माण कार्य को रोकने हेतु नोटिस निर्गत करते हुये वाद सं० सी-1197/एस-डाकपत्थर/2023 योजित किया गया था। उक्त समस्त अनाधिकृत/चालाशुदा प्लाटिंग को दिनांक 16.4.25 को ध्वस्त किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार नियत तिथि को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु संबंधित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

उपजिलाधिकारी/पीठासीन अधिकारी,
म०दे०वि०प्रा०/तहसील विकासनगर,
जनपद-देहरादून।

प्रतिलिपि:-

पुलिस अधीक्षक, नगर देहरादून को इस आशय से कि नियत तिथि को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पन्न कराने हेतु एक क्षेत्राधिकारी को नियुक्त करते हुये पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

2. संबंधित थानाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि प्राधिकरण स्टाफ के साथ समुचित पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने का कष्ट करें। *विकास नगर*

3. नायब तहसीलदार, विकासनगर को इस अनुरोध के साथ कि नियत तिथि को उक्त कार्य को शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने की कृपा करें।

4. क्षेत्रीय सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

5. नाजिर को इस निर्देश के साथ कि नियत दिनांक को एक जे०सी०बी० एवं ध्वस्तीकरण से संबंधित समस्त सामग्री संबंधित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

6. विपक्षी श्री संदीप जैन व श्री तोमर आदि/हितबद्ध व्यक्ति, ग्राम बाडवाला, मुख्य चकराता रोड, निकट चौक देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त चालानशुदा निर्माण/अनाधिकृत प्लाटिंग को उपरोक्त तिथि को ध्वस्त किया जाना है। अतः नियत तिथि पर उपस्थित रहें एवं स्थल से अपना समस्त सामान हटा लें। शेष नियम व शर्तें पूर्व प्रेषित ध्वस्तीकरण ओदश पत्र संख्या 8351 दिनांक 08.02.2024 के अनुसार यथावत रहेगी।

उपजिलाधिकारी/पीठासीन अधिकारी,
म०दे०वि०प्रा०, तहसील विकासनगर,
जनपद-देहरादून।

